

Order sheet [Contd]

case No. 13 / 17 क्लेम

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09-12-17	<p>क्लेम प्रकरण क्रमांक-13/17 शंकर जोशी बनाम रामगोपाल आदि</p> <p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत । आवेदक शंकर जोशी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता उप0 । अनावेदक क0-1 द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता । अनावेदक क0-2 द्वारा श्री संतोष डंगरोलिया अधिवक्ता उप0 । आवेदक शंकर जोशी की ओर से श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वे इस प्रकरण में आवेदक की ओर से राजीनामा करने के लिए अधिकृत हैं । उन्हें आवेदक के द्वारा इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिए अधिकृत किया गया है ।</p> <p>अनावेदक क0-2 की ओर से श्री संतोष डंगरोलिया अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वे इस प्रकरण में अनावेदक क0-2 की ओर से राजीनामा करने के लिए अधिकृत हैं । उन्हें अनावेदक क0-2 के द्वारा इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिए अधिकृत किया गया है ।</p> <p>उभयपक्ष की ओर से लोक अदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किए गये । आवेदक को श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता द्वारा पहचाना गया ।</p> <p>बीमा कंपनी एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से श्री संतोष डंगरोलिया अधिवक्ता के द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किये गये ।</p> <p>प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि बीमा कम्पनी दुर्घटना में आवेदक शंकर जोशी को आई चोटों के लिये आवेदक को राशि रुपये 27,000 /- (सत्ताईस हजार) रुपये अदा करेगी तथा अनावेदक क्रमांक 01 के विरुद्ध प्रकरण निरस्त किया जावे ।</p> <p>उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया । राजीनामा विधिवत प्रकट होता है । अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवेदक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-</p> <p>1. अना.क.-02 बीमा कंपनी दुर्घटना में आवेदक शंकर जोशी को आई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप आवेदक को राशि 27,000 /- (सत्ताईस हजार) रुपये दो माह की अवधि में अदा करें । विहित इस अवधि में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अवधि के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें ।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>2. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 27,000/—(सत्ताईस हजार) रुपये आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें।</p> <p>3. अनावदेक क्रमांक 01 के संबंध में दुर्घटना क्षतिपूर्ति का दावा निरस्त किया जाता है।</p> <p>4- उभय पक्ष अपना-अपना वाद वहन करेंगे।</p> <p>5. अधिवक्ता शुल्क 1,000/—रुपये लगाया जावे। प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>(महेशचन्द्र श्रीवास्वत)</p> <p>सदस्य</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(पुष्पराम सिंह गुर्जर)</p> <p>सदस्य</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(मोहम्मद अजहर)</p> <p>पीठासीन अधिकारी</p> <p>लोक अदालत, खण्डपीठ क्र. 20</p> </div> </div>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)